

उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला

मुरादाबाद

तहसील

मुरादाबाद

आवेदन क्र० प्रमाणपत्र क्र० 251350030035979

042253011823

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री

माता का नाम

निवासी

ग्राम


तहसील जिला अनम फरहीन/Anam Farheen ASGAR ALI

ARJUMAND BANO

111,NEAR KAMAL TALKES

BARADARI

मुरादाबाद मुरादाबाद



यह भी प्रमाणित किया जाता है कि **अनम फरहीन/Anam Farheen** पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनाँक २० अक्टुबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ मे यथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है |



जारी कर्ता केन्द्र: मोहम्मद फैसल,वाईफाई चौपाल जन सेवा केंद्र ANAND Digitally Signed by ANAND KUMAR VICE मोहम्मद फैसल, केन्द्र प्रभारी

स्थान : 47,MORADABAD (M CORP.) - WARD

NO.47,मुरादाबाद,मुरादाबाद,मुरादाबाद

दिनॉक: 11/03/2025 हस्ताक्षर एंव महर

ANAND Digitally Signed by ANAND KUMAR MAYAK O=Personal, S=UTTAR PRADESH NAYAK

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षरित मुरादाबाद,मुरादाबाद दिनॉक:10/03/2025

जारी दिनांक: 10/03/2025

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।